तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर ह० दि० हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। तहसीलदार [illegible] को 254 साथ की तहरीर जारी हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12 / 12 / 2019

वउनवान

1. मनोजकुमार पुत्र श्री बच्चूसिंह जाति कण्डेरा निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

------ अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत टीकरी पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत टीकरी तहसील कठूमर

----- रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत तुसारी
दिनांक 15.11.1997 इन्तकाल संख्या
199 वाके ग्राम तुसारी

उपस्थित :-

श्री रामजीलाल शर्मा : वकील अपीलाण्ट

श्री धनश्याम शर्मा : वकील रेस्पो0सं0 1

निर्णय दिनांक 12.12.2019

अपीलाण्ट ने यह अपील आज्ञा दिनांक 15.11.1997 ग्राम पंचायत टीकरी इन्तकाल संख्या 199 वाके ग्राम तुसारी से विक्षुब्ध होकर इस न्यायालय में पेश की है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट के पिता बच्चू पुत्र कल्याण के स्वर्गवास के वाद उनका विरासत का इन्तकाल संख्या 199 वाके ग्राम तुसारी तहसील कठूमर भरते समय पटवारी हल्का ने व फैसल करते समय में रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलाण्ट को विना सुने विना वुलाये विना पहचान के दस्तावेज लिये व अपीलाण्ट के सही नाम की जांच किये विना ही मनोजकुमार के स्थान पर सोनू लिख

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

दिया। जवकि अपीलाण्ट का सही नाम मनोजकुमार है। अपीलाण्ट के पहचान के दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, बोटर लिस्ट व अन्य कागजातों में नाम मनोजकुमार ही अंकित है। पटवारी हल्का को इन्तकाल भरते समय व ग्राम पंचायत को उक्त इन्तकाल फैसल करते समय अपीलाण्ट को सुनकर उसके नाम के दस्तावेज लेकर सही नाम की जांच कर अपीलाण्ट का नाम इन्तकाल में मनोजकुमार अंकित करना चाहिए था। अपीलाण्ट का नाम सोनू नहीं है। अतः इन्तकाल संख्या 199 वाके ग्राम तुसारी व रेस्पो0 की आज्ञा दिनांक 15.11.1997 निरस्त कर इन्तकाल से प्रभावित जमीन में अपीलाण्ट का नाम सोनू के स्थान पर मनोजकुमार दर्ज करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर ली जावे।

अपीलाण्ट को गलत इन्तकाल की जानकारी दिनांक 12.09.2019 को पटवारी हल्का से क्रेडिट कार्ड की फाइल बनवाने पर हुई इससे पूर्व अपीलाण्ट को गलत इन्तकाल की जानकारी नहीं हुई। अपीलाण्ट ने इस दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 199 वाके ग्राम तुसारी की तहसील कठूमर से आवश्यक फीस से नकल लेकर रेस्पोडेण्ट से इन्तकाल में अपना नाम सही कराने वावत कहा तो रेस्पो0 ने मना कर दिया। इससे पूर्व अपीलाण्ट को उक्त गलत इन्तकाल की किसी तरह से जानकारी नहीं हुई। जानकारी होंने से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। इन्तकाल फेसल करने की दिनांक 15.11.1997 से दिनांक 19.09.2019 तक की देरी को कण्डोन किये जाने का उचित कारण है। इस देरी को कण्डोन करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 199 वाके ग्राम तुसारी आज्ञा दिनांक दिनांक 15.11.1997 ग्राम पंचायत टीकरी को निरस्त कर उक्त इन्तकाल से प्रभावित जमीन में अपीलाण्ट का नाम सोनू के स्थान पर मनोजकुमार दर्ज करने का निवेदन किया है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलव किया गया। रेस्पो0 सं0 1 मय अधिवक्ता हाजिर आया। रेस्पो0सं01 ने हाजिर अदालत होकर अपना ईकवाल जवाव पेश कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने व इन्तकाल संख्या 199 वाके ग्राम तुसारी तहसील कठूमर से प्रभावित भूमि में अपीलाण्ट का नाम सोनू की जगह मनोजकुमार करने की सहमति प्रदान की है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल, नकल इन्तकाल संख्या 199 वाके ग्राम तुसारी, नकल लेटरपेड सरपंच ग्राम पंचायत तुसारी व आधारकार्ड की छाया प्रति व शपथ पत्र दिनांक 13.09.2019 पेश किये है। जो शामिल पत्रावली है।

उभय पक्षकारान की वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता बच्चू का विरासत इन्तकाल संख्या 199 वाके ग्राम तुसारी भरते समय पटवारी हल्का ने व इस इन्तकाल को फेसल करते समय ग्राम पंचायत ने अपीलाण्ट को नहीं सुना अपीलाण्ट के सही नाम की जांच नहीं की और ना अपीलाण्ट से उसके नाम व पहचान का दस्तावेज लिया। रेस्पो0 ने मनमाने तरीके से अपीलाण्ट का नाम मनोजकुमार के स्थान पर सोनू दर्ज किया है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत दस्तावेज पत्रादि से अपीलाण्ट का नाम मनोजकुमार सावित है। रेस्पो0 ने ईकवाल जवाव पेश कर व अपने लेटर पेड पर अपीलाण्ट का नाम सोनू न होकर मनोजकुमार होने का कथन किया है। जो रेस्पो0 का स्वीकारोक्ति कथन है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 199 वाके ग्राम तुसारी व ग्राम पंचायत तुसारी का आदेश दिनांक 15.11.1997 निरस्त कर अपीलाण्ट का नाम इन्तकाल से प्रभावित जमीन में सोनू के स्थान पर मनोजकुमार दर्ज किया जावे। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। सर्व प्रथम हमें अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाया है। अतः हस्तगत प्रकरण में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्षकारान की वहस पर मनन किया। पत्रावली के साथ प्रस्तुत इन्तकाल संख्या 199 वाके ग्राम तुसारी में अपीलाण्ट का नाम सोनू पुत्र बच्चू दर्ज है। जवकि अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशनकार्ड बोटरलिस्ट में अपीलाण्ट का नाम मनोजकुमार पुत्र कल्याण दर्ज है। अपीलाण्ट का नाम

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

मनोजकुमार ही है रेस्पो0 ने इकवाल जवाव पेश कर व अपने लेटरपेड पर अपीलाण्ट का नाम मनोजकुमार होना लिख कर दिया है तथा इन्तकाल से प्रभावित जमीन में सोनू के स्थान पर मनोजकुमार किये जाने में सहमति प्रदान की है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि के अवलोकन व विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन करने पर यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत तुसारी ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण मौका दिये विना, विना वुलाये मनमर्जी तरीके से स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा इन्तकाल संख्या 199 वाके ग्राम तुसारी आज्ञा दिनांक 15.11.1997 ग्राम पंचायत टीकरी निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो अपीलाण्ट को सुनकर उसके सही नाम की जांच कर व साक्ष्य सवूत लेकर इन्तकाल का विधिनुसार निर्णय पारित करे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

12.12.19

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी (कठूमर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 12.12.2019 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
12.12.19

Scanned by CamScanner